

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3193  
18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमृत 2.0 के अंतर्गत प्रमुख योजनाएँ

†3193. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अन्तर्गत शुरू किये गये प्रमुख उपायों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं की अभी क्या स्थिति है और कितनी परियोजना पूरी हो चुकी हैं, कितनी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और कितनी परियोजनाओं के लिए निविदा जारी की जा चुकी है; और

(ग) अमृत 2.0 के अंतर्गत वित्तीय आवंटन और उसके उपयोग के संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री  
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 को 01 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया था, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। जलाशयों का नवीकरण, हरित स्थानों और पार्कों का विकास आदि मिशन के अन्य घटक हैं।

मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को अमृत 2.0 दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य

सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) की सिफारिश के अनुसार अमृत 2.0 के तहत राज्य जल कार्य योजनाएँ (एसडब्ल्यूएपी) अनुमोदित कर दी हैं।

जैसा कि 20.11.2025 तक अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 1,93,427.02 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 8,804 परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं। अब तक, 1,63,903 करोड़ रुपये की 7567 परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई है, जिसमें से 1,20,601.58 करोड़ रुपये की 6,663 परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ठेके प्रदान किए गए हैं और 47,411 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

यह मिशन स्टार्ट-अप के माध्यम से नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने और शहरों के लिए जलभृत प्रबंधन योजना तैयार करने पर केंद्रित है। मिशन के सुधार एजेंडे में 'नल से पेयजल' (डीएफटी) सुविधा के साथ 24x7 पानी की आपूर्ति; भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित शहरों के मास्टर प्लान और नगरपालिका बांड जारी करके धन जुटाने के प्रावधान हैं।

- 50,000 - 99,999 की जनसंख्या वाले श्रेणी-II शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की उप-योजना के अंतर्गत 801 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 87,500 वर्ग किमी को कवर करने वाले 875 श्रेणी-II शहरों को शामिल किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के साथ उपग्रह चित्रों और ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय सुर्वेक्षण विभाग के साथ जियो डेटाबेस बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 'जल ही अमृत' पहल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपयोग किए गए जल (सीवेज) शोधन संयंत्रों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, ताकि निरंतर रूप से पुनर्चक्रण योग्य अच्छी गुणवत्ता वाले शोधित जल को सुनिश्चित करने के साथ ही पर्यावरण मानकों को पूरा किया जा सके। अब तक, 22,202 एमएलडी की

शोधन क्षमता वाले 860 सीवेज शोधन संयंत्रों को मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नामांकित (जानकारी प्रस्तुत की गई है) किया जा चुका है।

- शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट (एसएएम) 2.0 को 75 शहरों में शुरू किया गया है। इस पहल को व्यापक शहरी नियोजन में जलभृत प्रबंधन को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमुख उपायों में नई पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण और निष्क्रिय पुनर्भरण संरचनाओं की मरम्मत, वर्षा जल संचयन प्रणालियों का कार्यान्वयन, क्षेत्रीय भूजल पुनर्भरण के लिए जलग्रहण स्तर में सुधार और व्यापक शहर-व्यापी भूजल प्रबंधन योजनाओं का विकास शामिल हैं।
- प्रौद्योगिकी उप-मिशन स्टार्ट-अप विचारों, निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रायोगिक परियोजनाओं में शामिल करने वाला अमृत 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह जल और प्रयुक्त जल शोधन, वितरण और जल निकाय नवीकरण के क्षेत्रों में अभिनव, सिद्ध और संभावित पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पहचान की सुविधा प्रदान करता है। डीपीआईआईटी की "स्टार्ट-अप इंडिया" पहल द्वारा दी गई परिभाषा को पूरा करने वाले स्टार्ट-अप भाग लेने के पात्र हैं। अब तक 120 स्टार्ट-अप को शामिल किया गया है और उन्हें 82 अमृत शहरों के साथ मैप किया गया है।
- अमृत मित्र पहल को जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण, जल इंफ्रास्ट्रक्चर संचालन और वृक्षारोपण सहित अन्य जल क्षेत्रीय परियोजनाओं में महिला स्वयं सहायता (एसएचजी) समूहों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए शुरू किया गया है। 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है, जिनमें जल क्षेत्र/वृक्षारोपण में 377.80 करोड़ रुपये की 6,094 परियोजनाएं शामिल हैं।
- राज्यों/यूएलबी को अमृत 2.0 के तहत नगरपालिका बांड बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब तक 11 यूएलबी द्वारा नगरपालिका बॉन्ड के माध्यम से 1,719 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं और अमृत 2.0 के तहत बॉन्ड जारी करने के लिए इन यूएलबी को प्रोत्साहन के रूप में 150.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

अमृत 2.0 के तहत, केन्द्रीय निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी की जाती हैं, न कि परियोजना-वार। राज्य अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति के अनुसार व्यय करते हैं।

अमृत दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के अंतर्गत किए गए कार्यों का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। इसके अलावा, अमृत के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से समय-समय पर प्रगति की समीक्षा और निगरानी की जाती है। परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने और निगरानी के लिए एक समर्पित अमृत ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है।

\*\*\*\*\*